प्रेस सूचना ब्यूरो
भारत सरकार
कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय

03-अगस्त-2018 17:15 IST

PMFBY का कार्यान्वयन

प्रधानमंत्री बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) एक ऐसी योजना है जिसमें राज्य सरकारों, वित्तीय संस्थानों, बीमा कंपनियों और किसानों, जिसमें ऋण लेने वाले और गैर-ऋण लेने वाले, सहित कई हितधारक शामिल हैं। यह योजना प्रशासन के लिए राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर सभी हितधारकों के एकीकरण के लिए प्रौद्योगिकी को अपनाने और फसल हानि के आकलन आदि पर विचार करने की भी परिकल्पना करता है। नई निपटान प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए हितधारकों द्वारा सामना किए जाने वाले मुद्दों पर, इस तथ्य के साथ कि निपटान का दावा है। राज्यों से स्पष्ट उपज डेटा प्राप्त करने पर मुख्य रूप से निर्भर होने के साथ-साथ बीमा कंपनियों को प्रीमियम सब्सिडी के अपने हिस्से का समय पर भुगतान पीएमएफबीवाई को लागू करने में कुछ प्रमुख चुनौतियां हैं।

योजना के कार्यान्वयन को ट्रैक और मूल्यांकन करने के लिए फसल बीमा विशेषज्ञ के साथ तकनीकी सहायता इकाई (TSU) की स्थापना के लिए योजना प्रदान करता है। शुरुआत में, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (AIC) और बाद में GIC Re को TSU के रूप में नामित किया गया था। सरकार ने हाल ही में परियोजना निगरानी इकाई (पीएमएफ) / टीएसयू स्थापित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) से एक टीम को शामिल किया है।

पीएमएफबीवाई के परिचालन दिशानिर्देशों में राज्यों द्वारा तीन वर्षों के लिए पीएमएफबीवाई की बोली / अधिसूचना के प्रावधान भी शामिल हैं ताकि संबंधित बीमा कंपनियां उन्हें आवंटित किए गए समूहों में आधारभूत संरचना और जनशक्ति बनाने में सक्षम हो सकें। लंबी अवधि के लिए बोली / अधिसूचना के लिए सरकार विभिन्न प्लेटफार्मों पर राज्यों को प्रभावित कर रही है। कई राज्य अब लंबी अवधि के लिए एक वर्ष या उससे अधिक और यहां तक कि तीन साल तक बोली लगा रहे हैं।

पीएमएफबीवाई में प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए एक दो आयामी रणनीति है। सबसे पहले, इस योजना को राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल के माध्यम से प्रशासित किया जाएगा, जिस पर सभी हितधारकों को योजना के बेहतर समन्वय, पारदर्शिता और ऑटो-प्रशासन के माध्यम से रीयल टाइम सूचना प्रवाह और सेवा वितरण की सुविधा के लिए एकीकृत किया गया है। दूसरे, उपज हानि, जोखिम वर्गीकरण, फसल कटाई प्रयोगों के युक्तिकरण आदि के सटीक आकलन के लिए अत्याधुनिक तकनीक VIZ। उपग्रहों और मानव रहित हवाई वाहन (यूएवी / ड्रोन) के माध्यम से रिमोट सेंसिंग इमेजरी, स्मार्टफोन / सीसीई एग्री ऐप को तैनात किया जा रहा है।

यह जानकारी कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री परषोत्तम रूपाला ने दी

*****

ए पी एस / आरसीएस